
वार्षिक रिपोर्ट 2001-2002 Annual Report 2001-2002





कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

निदेशक मण्डल THE BOARD OF DIRECTORS




श्री के. चेरियन वर्गीज़ Shri K. Cherian Varghese





श्री जी. **के. शर्मा** Shri G. K. Sharma





श्री वाल्टर लस्नादो Shri Walter Lasrado



श्री के वेणुगोपाल Shri K. Venugopal




श्री प्रदीप कुमार


Shri Pradeep Kumar

re and de la constant de la bandar de constantes de la constant de la

<mark>श्री रमेश चंदर चाँदीवाला</mark> Shri R. C. Chandiwala



श्री शैलेन्द्र स्वरूप Shri Shailendra Swarup



श्री सुरिन्दर सिंह भसीन Shri Surinder Singh Bhasin



श्री वी. के. चान्ना Shri V. K. Chanana



श्री बी. गणपति पई Shri B. Ganapathi Pai



श्री के. के. जी. पिल्लै Shri K. K. G. Pillai



श्री <mark>दुष्यंत त्यागी</mark> Shri Dushyant Tyagi



नार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2001-2002 विषय - सूची CONTENTS

अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Statement	2	
सूचना Notice	6	
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	12	
प्रवंधन-वर्ग का विवेचन एवं विश्लेषण Management Discussion & Analysis	22	
कापोरिट अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	44	
वैंक का दस वर्ष का निष्पादन Ten Years' Performance of the Bank	65	
तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	66	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	78	
टिप्पणियाँ जो लेखों का अंग है Notes forming part of accounts	84	
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	92	
समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट		
Auditors' Report on consolidated financial statements	95	
नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	96	
निष्पादन की विशिष्टताएँ Performance Highlights 2001-02	100	
कार्पवैंक होम्स लि. के लेखे Accounts of Corpbank Homes Ltd.	101	
कार्पवैंक सिक्युरिटीज़ लि. के लेखे Accounts of Corpbank Securities Ltd.	122	
संवंधित अधिनियमों और विनियमों के उद्धरण		
Extracts of relevant Acts and Regulations	152	
उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	163	
ईसीएस अधिदेश ECS Mandate	165	
प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	167	
नामांकन फार्म Nomination Form	169	
घोषणा पत्र Declaration Form	171	

लेखा-परीक्षक

वैथीश्वरन एण्ड कं. ए. के. सबत एण्ड कं. डी. सिंह एण्ड कं. सुदित के. पारेख एण्ड कं. नरसिंह राव एण्ड एसोसिएट्स राव एण्ड कुमार

Auditors

Vaithisvaran & Co. A. K. Sabat & Co D. Singh & Co. Sudit K. Parekh & Co. Narasimha Rao & Associates Rao & Kumar

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कन्सेलटेन्ट्स लिमिटड 46, एवेन्यू 4 स्ट्रीट नं. 1 वंजारा हिल्स हैदरावाद - 500 034 दूर: 040 - 3312454 3320751 फैक्स: 040-3311968

Registrar & Share Transfer Agent

Karvy Consultants Ltd. 46, Avenue 4 Street No. 1 Banjara Hills Hyderabad - 500 034 Tel: 040 - 3312454 3320751 Fax : 040-3311968

🗕 कार्पोरेशन बैंक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से

प्रिय शेयरधारकों,

आपके वैंक की वार्षिक सामान्य वैठक में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है । वर्ष 2001-02 हेतु आपके वैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष रखना मेरे लिए सौभाग्य की वात है ।

2. अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी, घटती व्याज-दरों, वैंकिंग प्रणाली में पीएलआर से कम दरों पर उधार प्रारंभ करने तथा वढ़ते प्रतिस्पर्धालक दवावों के कारण वर्ष 2001-02 देश में वैंकिंग उद्योग के लिए एक कठिन वर्ष रहा। तथापि, जमाराशियों की लागत कम करने के साथ-साथ ऋण विस्तार करने, निवल व्याज मार्जिन (एनआईएम) का विवेकपूर्ण प्रवंधन करने तथा प्रभावी ट्रेजरी प्रवंधन करने से आपका वैंक उक्त वर्ष के दौरान प्रमुख वित्तीय मापदंडों के अंतर्गत अपने निष्पादन को वरकरार रख सका है ।

3. व्याज मार्जिन में दवाव के वावजूद सकल लाभ 17.1% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.622.93 करोड़ तक वढ़ गया। निवल लाभ पिछले वर्ष से 17.7% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.308.10 करोड़ तक वढ़ गया। समग्र लाभप्रदता स्थिति को ध्यान में रखते हुए निदेशक-मण्डल ने भारतीय रिजर्व वैंक के अनुमोदन के अध्यधीन 40% के लाभांश का प्रस्ताव रखा है।

4. एलआईसी को अतिरिक्त ईक्विटी के आवंटन (रु.459.42 करोड़) तथा प्रतिधारित लाभ (रु.239.11 करोड़) के परिणामस्वरूप आपके वैंक की निवल मालियत में रु.1,347.71 करोड़ से रु.2,046.24 करोड़ तक 51.8% की तीव्र वृद्धि हुई । संवर्धित पूँजी पर उक्त वर्ष के दौरान प्रति शेयर अर्जन रु.21.82 से रु.23.65 तक वढ़ गया । उक्त वर्ष के दौरान प्रति शेयर वही मूल्य में रु.112.31 से रु.142.64 तक भारी वृद्धि हुई ।

5. आपके वैंक का कुल व्यापार एक और उपलव्धि को पार करते हुए रु.29,000 करोड़ के स्तर को पार कर रु.29,911 करोड़ के स्तर पर रहा | आपके वैंक की जमाराशियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 14.28% की वृद्धि और रु.2,364 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्ज करते हुए रु.18,924 करोड़ के स्तर पर रहीं | निवल अग्निम रु.2,321 करोड़ वढ़ते हुए रु.10,987 करोड़ के स्तर तक पहुँचे, इसमें 26.79% की वृद्धि दर्ज हुई |

6. 31 मार्च 2002 को आपके वैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)
13.3% से सुधरकर 17.9% हो गया, जो कि वैंकिंग उद्योग में उद्यतम में से एक है । सीएसआर की अनिवार्य अपेक्षा 9% है ।

 31 मार्च 2002 को आपके वैंक के निवल एनपीए के स्तर में 1.98% से 2.31% तक मामूली वृद्धि हुई ।

8. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय वोर्ड के निदेशों के अनुसार, आपके वैंक ने वैंक की दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनूपंगियों अर्थात कार्प वैंक होम्स



लिमिटेड एवं कार्पवेंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड सहित ग्रूप के वित्तीय तत्वों को समेकित भी किया है । वर्ष 2001-02 हेतु समेकित परिचालन लाभ रु.726.09 करोड़ तथा निवल लाभ रु.373.19 करोड़ रहा ।

9. वैंक की आवास अनुषंगी कार्पवैंक होम्स लिमिटेड ने रु.15 करोड़ की ईक्विटी पूँजी पर 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष हेतु रु.3.38 करोड़ का निवल लाभ (करोत्तर लाभ) दर्ज किया है । सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर कार्पवैंक सिक्युरिटीज़ लि. ने रु.100 करोड़ की ईक्विटी पूँजी पर 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्प हेतु रु.66.01 करोड़ का निवल लाभ (करोत्तर लाभ) दर्ज किया है ।

10. दक्षता के विश्व मानक प्राप्त करने की दिशा में आपके वैंक ने श्रेष्ठ कार्पोरेट अभिशासन की संहिता अपनाई है और वैंक के वित्तीय विवरणों को यूएस गैप के अंतर्गत प्रकाशित करता रहा है ।

 उक्त वर्ष के दौरान, आपके वैंक ने वैंक के शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए "विजन 2006" नाम का एक साझा विजन निरूपित किया और अपनाया । विजन 2006 का लक्ष्य "वित्तीय तत्वों, दक्षता, प्रौद्योगिकी, उत्पाद एवं सेवाओं में विश्व मानक हासिल करते हुए सर्वाधिक वरीयता प्राप्त बैंक के रूप में उभरना" है ।

12. ग्राहक की वदलती ज़रूरतों एवं अधिमानों के अनुरूप आपके वैंक ने प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं और उत्पाद उपलव्ध कराने पर ज़ोर दिया है । इस दिशा में, आपके वैंक ने देश भर में 125 एटीएम परिचालित करके नेटवर्क से जोड़े हैं । चुनिंदा शाखाओं में ग्राहकों को इंटरनेट वैंकिंग सुविधा, एटीएम तथा इलेक्ट्रॉनिक पर्स के दोहरे उपयोग वाला कॉम्वी कार्ड कार्प स्मार्ट,कार्प एलीट तथा कार्प प्रीमियम वर्ष के दौरान आपके वैंक ढारा शुरू की गई कुछ प्रौद्योगिकी युक्त सेवाएं/उत्पाद हैं । इन पहलों से आपका वैंक अपनी पहुँच को वढ़ाने और ग्राहक आधार में वृद्धि करने में समर्थ हो जाएगा ।

13. आपके वैंक ने वृद्धि के नए अवसरों को तलाशने के लिए अन्य संगठनों से गठजोड़ किए । आपके वैंक ने 6 जून 2001 को भारतीय जीवन वीमा निगम (एलआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए



FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure in extending you a warm invitation to the Annual General Meeting of your Bank. I have the privilege of placing before you the Annual Report of your Bank for the year 2001-02.

2. The year 2001-02 was a difficult year for the banking industry in the country due to the general slow down in the economy, falling interest rates, introduction of sub-PLR lending in the banking system and also the mounting competitive pressures. However, the credit expansion supported by reduction in cost of deposits, prudent management of Net Interest Margin (NIM) and effective treasury management, enabled your Bank to sustain its performance during the year under the key financial parameters.

3. Inspite of pressure on interest margin, the Gross Profit improved to Rs.622.93 crore, registering a growth of 17.1%. The Net Profit rose to Rs.308.10 crore, recording an increase of 17.7% over the previous year. Keeping in view the overall profitability position, the Board of Directors have proposed a dividend of 40%, subject to the approval of Reserve Bank India.

4. The net worth of your Bank increased sharply by 51.8% from Rs.1,347.71 crore to Rs.2,046.24 crore, both on account of allotment of additional equity to LIC (Rs.459.42 crore) and retained profits (Rs.239.11 crore). The Earnings Per Share improved from Rs.21.82 to Rs.23.65 during the year on increased capital. The Book Value Per Share increased substantially to Rs.142.64 from Rs.112.31 during the year.

5. Your Bank's total business crossed another mile stone mark of Rs.29,000 crore and stood at Rs.29,911 crore. The deposits of your Bank recorded a growth of 14.28% and an absolute growth of Rs.2,364 crore over the previous year and stood at Rs.18,924 crore. The net advances increased by Rs.2,321 crore to reach Rs.10,987 crore, registering a growth of 26.79%.

6. As on 31st March 2002, the Capital Adequacy Ratio (CAR) of your Bank improved from 13.3% to 17.9%, which is one of the highest in the Banking Industry. The mandatory requirement of CAR is 9%.

7. The Net NPA level of your Bank increased marginally from 1.98% to 2.31% as on 31^{*} March 2002.

8. In terms of the directions of Securities and Exchange Board of India, your Bank has also consolidated the financials of the



group including the two wholly owned subsidiaries of the Bank viz. Corpbank Homes Ltd. and Corpbank Securities Ltd. The consolidated operating profits stood at Rs.726.09 crore and the net profit was Rs.373.19 crore for the year 2001-02.

9. Corpbank Homes Ltd., a housing subsidiary of the Bank, recorded a Net Profit (PAT) of Rs.3.38 crore for the year ended 31st March 2002 on equity capital of Rs.15 crore. Corpbank Securities Ltd., a primary dealer in government securities, recorded a Net Profit (PAT) of Rs.66.01 crore for the year ended 31st March 2002, on equity capital of Rs.100 crore.

10. In the direction of attaining global standards of efficiency, your Bank has adopted the code of good Corporate Governance and has been publishing the Bank's Financial Statements under US GAAP.

11. During the year, your Bank formulated and adopted a shared vision termed "Vision 2006", to coincide with the centenary year of the Bank. The objective of the vision 2006 is 'To emerge as the most preferred Bank with global standards in financials, efficiency, technology, products and services.'

12. Your Bank has given thrust for providing technology based services and products in tune with the changing customer needs and preferences. In this direction, your Bank has operationalised and networked 125 ATMs across the country. Internet Banking facility to customers in select branches, CorpSmart – a combi-card doubling as ATM and Electronic Purse, CorpElite and CorpPremium are some of the technology aided services/ products added by your Bank during the year. These initiatives would enable your Bank to extend its reach and expand the clientele base.

13. Your Bank entered into alliances with other organizations to explore new avenues of growth. Your Bank signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Life Insurance Corporation of India (LIC) on 6th June 2001, which is first of

🚊 कार्पोरेशन बैंक

जो भारतीय वित्तीय वाज़ारों में अपने किस्म का पहला है । शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुसार आपके वैंक ने रु.10/- के 2,34,40,000 ईक्विटी शेयर रु.196/- प्रति शेयर के हिसाव से जारी किए और वैंक की पूँजीगत निधियों में रु.459.42 करोड़ जोड़े ।

14. आपके वैंक ने देश की सवसे वड़ी गैर-जीवन वीमा कंपनी, द न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लि. (एनआईए) के साथ दिनांक 20 दिसंवर 2001 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए ।

15. समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार आपका वैंक कार्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त होने पर एलआईसी और एनआईए, दोनों के वीमा उत्पादों को वेचेगा । एलआईसी और एनआईए के परिसर में शाखाएं/विस्तार काउण्टर/एटीएम खोलने का विकल्प भी आपके वैंक को होगा । यह वैंक को अपनी पहुँच में वढ़ाने और अपने नेटवर्क को सुधारने का अवसर प्रदान करता है ।

16. आपके वैंक ने एलआईसी म्यूच्युअल फंड के उत्पादों को वैंक की शाखाओं के माध्यम से वेचने के लिए उनसे भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 17. उपर्युक्त सभी पहलों से अपेक्षा है कि आनेवाले वर्षों में वैंक को वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे ।

18. आपके वैंक की अंतर्निहित शक्ति कार्पवैंक परिवार के सदस्यों का जोश, समर्पण-भाव, उत्कृष्टता हासिल करने हेतु उत्साह और उच्च अभिप्रेरणा स्तर हैं। मैं सभी स्तर पर आपके वैंक के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सराहना करता हूँ जिन्होंने इस निष्पादन को संभव वनाया है।

आपका,

क मेरियन काल

(के. चेरियन वर्गीज़)

20 जून 2002





its kind in the Indian financial markets. As per the approval of the shareholders, your Bank issued 2,34,40,000 equity shares of Rs.10/- at Rs.196/- per share, and added Rs.459.42 crore to the Bank's capital funds.

14. Your Bank also signed an MOU with the country's largest non-life insurance company, The New India Assurance Company Ltd. (NIA) on 20^{th} December 2001.

15. As per the provisions of the MOU, your Bank would sell insurance products of both LIC and NIA, once the Bank gets licence to operate as a corporate agent. Your Bank also has the option to open Branches/Extension Counters/ATMs in the premises of LIC and NIA. This offers an opportunity for the Bank to enhance its reach and improve its network.

16. Your Bank also entered into an MOU with LIC Mutual Fund to sell their products through the branches of the Bank.

17. All the above initiatives are expected to bring growth opportunities to the Bank in the coming years.

18. The inherent strength of your Bank, is the zeal, dedication, passion for excellence and high motivation levels of the members of the Corpbank family. I place on record my appreciation for the staff and officers of your Bank at all levels, who made the performance possible.

Yours sincerely,

(K. Cherian Varghese)

20th June 2002



कार्पोरेशन बैंक

कार्पोरेशन बैंक कार्पोरेट कार्यालय : मंगलादेवी मंदिर मार्ग मंगलूर - 575 001 द.क. जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन वैंक के शेयरधारकों की पाँचवीं वार्षिक सामान्य वैठक वुधवार, 24 जुलाई, 2002 को अपराहन 2.30 वजे, सहस्राव्दि भवन, कार्पोरेशन वैंक, कार्पोरेट कार्यालय, पांडेश्वर, मंगलूर - 575 001 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित संव्यवहार किया जाना है :

1. 31-03-2002 को वैंक का तुलन-पत्र, 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष हेतु वैंक का लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए वैंक के कार्य-निष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना।

2. वैंक के शेयरधारकों से प्राप्त वैध नामांकनों पर विचार करना तथा वैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत वैंक (प्रवंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 और कार्पोरेशन वैंक सामान्य विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्षों की अवधि हेतु पद धारित करने के लिए वैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले छह निदेशकों का निर्वाचन करना ।

स्थान : मंगलूर दिनांक : 20-06-2002

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, उसे, अपने स्थान पर बैटक में भाग लेने तथा वोट देने के लिए एक प्रॉक्सी नियक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है । प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म वैठक प्रारंभ होने से कम-से-कम चार दिन पहले, अर्थात् शनिवार, 20 जूलाई, 2002 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 1.30 वजे से पहले ही वैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए ।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

वैंक के शेयरधारक किसी कंपनी निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति, वैठक में भाग लेने और मतदान करने हेतु तव तक पात्र नहीं होगा, जव तक उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जिस वैठक में वह पारित किया गया हो उस वैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित करते हुए, वैठक से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 20 जुलाई, 2002 को कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व, अर्थात् 1.30 वजे अपराह्न से पूर्व मुख्य प्रवंधक, कार्पोरेशन वैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्रधान कार्यालय, मंगलूर - 575 001 में प्रस्तुत न की जाए ।

3. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ

क रेश्वित कालि

(के. चेरियन वर्गीज)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ही संलग्न किया गया है । शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्रक वैठक-स्थान पर सौंप दें । शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वे उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र पर यथास्थिति "प्रांक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" अंकित करें ।

शेयरधारक-रजिस्टर को बंद करना 4.

वार्षिक सामान्य वैठक के सिलसिले में तथा अंतिम लाभांश, यदि वैंक द्वारा घोषित किया गया हो तो उसे प्राप्त करने हेतु पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ वैंक का शेयरधारक-रजिस्टर और शेयर अंतरण वहियाँ, 16 जुलाई, 2002 से 24 जुलाई, 2002 तक (दोनों दिनों सहित) वंद रहेंगी ।

लाभांश का भुगतान 5.

वैंक के निदेशक वोर्ड द्वारा घोषित लाभांश,यदि कोई हो, का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम 15 जुलाई, 2002 को, वैंक के शेयरधारकों/एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा वताए गए हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में मौजूद हैं । ऐसे शेयरधारकों को वैंक द्वारा शेयर अंतरण एजेंट,



CORPORATION BANK CORPORATE OFFICE: MANGALADEVI TEMPLE ROAD MANGALORE - 575 001 D. K. DIST., KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the fifth Annual General Meeting of the shareholders of CORPORATION BANK will be held on Wednesday, the 24th July 2002 at 2.30 p.m. at Millennium Building, Corporation Bank, Corporate Office, Pandeshwar, Mangalore – 575 001, to transact the following business:

1. To discuss the Balance Sheet of the Bank as at 31.3.2002, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2002, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To consider the valid nominations received from the shareholders of the Bank and elect SIX Directors representing the shareholders of the Bank, to hold office for a period of three years as provided under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Corporation Bank General Regulations, 1998.

Place: Mangalore Date: 20-06-2002 2

(K. Cherian Varghese) CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office, not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. 1.30 p.m. of Saturday, 20th July 2002.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Chief Manager, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangalore – 575 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. 1.30 p.m. of Saturday, 20th July 2002.

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/ Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 16^{th} July 2002 to 24^{th} July 2002 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, if any, declared by the Bank.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend, if any, declared by the Board of Directors of the Bank, will be paid to those shareholders whose names appear on the Bank's Register of Shareholders/ Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL, as on 15th July 2002.

🗕 कार्पोरेशन बैंक

अर्थात् कार्वी कन्सेलटेन्ट्स लिमिटेड के माध्यम से कानूनी प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती के अधीन लाभांश वारंट, वैंक ढारा लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रेषित किए जाएंगे ।

लाभांश वारंट में बैंक खाते के विवरण/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) - (ईसीएस)

सेवी ने सभी सूचीवद्ध कंपनियों को यह अनिवार्य वनाया है कि वे लाभांश वारंट संवितरित करते समय उक्त लाभांश वारंटों में शेयर धारकों द्वारा प्रस्तुत वैंक खाता विवरण प्रस्तुत करें तथा जहाँ कहीं उपलव्ध हो इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) सुविधा का उपयोग करें । कुछ केन्द्रों में ईसीएस सुविधा उपलव्ध न होने तथा कुछ शेयरधारकों द्वारा उक्त सुविधा का लाभ न उठाए जाने की स्थिति में वैंक, उनके पास उपलव्धानुसार लाभांश वारंटों में वैंक विवरण मुद्रित करेंगे ।

जो शेयरधारक शेयरों को कागजी रूप में धारित करते हैं, वे अपने वैंक अधिदेश विवरण को ज़रूरी अद्यतन करने हेतु वैंक के निवेशक सेवा विभाग या हमारे रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कन्सेलटेन्ट्स लि., हैदरावाद को भेज सकते हैं । जो शेयरधारक शेयरों को डीमैट रूप में धारित करते हैं, वे इस संवंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं । ईसीएस अधिदेश/वैंक अधिदेश का प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

7. तुलन-पत्र की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक सामान्य वैठक के समय

वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर डाक से भेजी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएं ।

८. अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि वैठक में कोई उपहार/कूपन नहीं वितरित किया जाएगा ।

9. शेयरधारकों के मतदान अधिकार

कार्पोरेशन बैंक सामान्य विनियम, 1998 के विनियम 68(i) में कार्पोरेशन वैंक के शेयरधारकों के मतदान अधिकारों की घोपणा की गई है । वार्पिक सामान्य वैठक की तारीख से पहले, सदस्य-रजिस्टर के वंद होने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को, हस्त-प्रदर्शन पर एक वोट तथा मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगा ।

(क) अधिनियम की धारा 3(2ङ) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर, वैंक का कोई भी शेयरधारक, उसके द्वारा धारित शेयर, वैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक होने पर, उन शेयरों के मामले में उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

वैठक की कार्यसूची के संवंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करते हुए व्यख्यालक कथन संलग्न है।

व्याख्यात्मक कथन

राष्ट्रीयकृत वैंक (प्रवंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 9(4) और खण्ड 11 ख में दिए प्रावधानों के अनुसार शेयरधारक निर्वाचित निदेशक श्री वी.के.चान्ना, श्री वी. गणपति पई, श्री के. के. जी. पिल्लै और श्री दुष्यंत त्यागी दिनांक 4 जुलाई 2002 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, अतएव वैंक के निदेशक-मण्डल में चार निदेशकों की रिक्ति होगी । ये चार निदेशक पूर्वार्निर्वाचन हेतु पात्र होंगे ।

दिनांक 23 अक्तूवर 2001 को वैंक ने भारतीय जीवन वीमा निगम को अधिमान आधार पर 2,34,40,000 ईक्विटी शेयर आवंटित किए जिससे जनता को जारी पूँजी वैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 42.83% तक वढ़ गई । वैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार जहाँ जनता को जारी पूँजी कुल प्रदत्त पूँजी के चालीस प्रतिशत से अधिक है, वहाँ केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने वीच से अधिकतम छह निदेशकों को निर्वाचित किया जाना है । इन परिस्थितियों में उपर्युक्तानुसार चार निदेशकों की नियुक्ति के अलावा, दो और निदेशकों का निर्वाचन करना होगा, जिससे निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या छह हो जाती है । यह नोट किया जाय कि किसी भी निदेशक ने उन्हें निर्वाचित किए जाने की तारीख से अगले दिन कार्य-भार ग्रहण किया माना जाएगा और वे तीन वर्षों की अवधि हेतु निर्वाचित माने जाएंगे या पद धारित करेंगे ।

तदनुसार, छह निदेशकों के निर्वाचन की सूचना वैंक की वार्षिक सामान्य वैठक वुलाने की सूचना का अंग है ।

शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति

i) नामांकन फार्मों की प्रस्तुति

वैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, वैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत वैंक (प्रवंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 और कार्पोरेशन वैंक सामान्य विनियम, 1998 (एतद्पश्चात् "अधिनियम, 1949", "अर्जन अधिनियम, 1980", "योजना 1980" और विनियम 1998" कहा गया है) के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले छह निदेशकों को वैंक के निदेशक मण्डल में निर्वाचित किया जा सकता है, वशर्ते कि पूर्वोक्त विनियम, 1998 के अंतर्गत निर्धारितानुसार वैध नामांकन प्राप्त होते हैं ।